विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ राज्य में 20 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम[1] (सभी कार्यशील) थे। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में, 31 मार्च 2015 को 20239 कर्मचारी नियोजित थे। 30 सितम्बर 2015 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ₹ 15510.96 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया।

(कंडिका 1.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2015 को 21 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 25947.51 करोड़ था जो कि 2010–11 के ₹ 9178.35 करोड़ से 182.70 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 47.58 प्रतिशत पूँजी तथा 52.42 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। 2014–15 के दौरान शासन ने समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 2824.39 करोड़ का अंशदान किया।

(कंडिका 1.6 एवं 1.8)

बकाया लेखे

सितम्बर 2015 तक 17 पीएसयू के 34 लेखे बकाया थे। पीएसयू को लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ–साथ बकाया लखों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

पीएसयू का निष्पादन

वर्ष 2014–15 के दौरान 21 पीएसयू में से 12 पीएसयू ने ₹ 111.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छः पीएसयू ने ₹ 1344.19 करोड़ की हानि उठाई। एक पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई। शेष दो पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 683.96 करोड़ एवं ₹ 630.42 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 1.15)

---

[1] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

लेखों की गुणवत्ता

अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान कार्यशील पीएसयू के 24 अंतिमीकृत लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों को अमर्यादित प्रमाण–पत्र, 19 लेखों को मर्यादित प्रमाण–पत्र तथा एक लेखे को प्रतिकूल प्रमाण–पत्र दिया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया।

(कंडिका 1.18 एवं 1.19)

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ, एक वृहद् कंडिका तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा ''छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप'' पर है, जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 605.79 करोड़ है।

(कंडिका 1.24)

2. "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप" की निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का मुख्य कार्य राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर व बाहर औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आबंटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं रख–रखाव करना हैं। कम्पनी शासकीय क्रय के लिए दर अनुबंध का अंतिमीकरण भी करता है। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 तक 17 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये थे तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये चार परियोजनायें प्रगतिरत् थी। इसके अलावा, कम्पनी ने 2010–15 के दौरान पाँच परियोजनाओं को भी स्थापित करने का विचार किया, जिसमें अभी विकास गतिविधियां प्रारंभ होनी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी के 2010–15 के दौरान के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व रख–रखाव, भूमि का आबंटन, औद्योगिक इकाईयों से उपयोग प्रभारों की बिलिंग व उनकी वसूली, दर अनुबंधों का अंतिमीकरण, आधिक्य कोष का विनियोग एवं आंतरिक नियंत्रण व निगरानी के निष्पादन का आंकलन करने के लिए की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य आपत्तियाँ निम्नवत् है।

(कंडिका 2.1 और 2.4)

वित्तीय प्रबंधन

- कम्पनी ने अब तक 2010–11 से 2014–15 तक के लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया हैं। कम्पनी के द्वारा वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलंब होने तथा अनुमानित आय के गलत निर्धारण के कारण अग्रिम कर जमा करने में त्रुटि होने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने आयकर विभाग को ₹ 4.70 करोड़ का दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 2.6.1)

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संधारण

• कम्पनी ने राज्य औद्योगिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान एवं विकास के लिए कोई भी योजना नहीं बनायी थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन के अगस्त 2009 के निर्देशों के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक के निर्माण के लिए रोडमैप भी नहीं बनाया।

(कंडिका 2.7.1 और 2.7.2)

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की तथा 31 मार्च 2015 को चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रगति पर थी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता तथा अनुदान की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारणों से एक से पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.7.3)

• कम्पनी ने भूमि की वास्तविक विकास की लागत तथा संधारण प्रभार को ध्यान में रखे बिना भूमि के आबंटन के लिए असामान्य रूप से निम्न दर पर भू–प्रीमियम तथा संधारण प्रभार निर्धारित किया था जो कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 171.70 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.7.7 और 2.7.8)

भूमि का आबंटन

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर 3367 हेक्टेयर भूमि के लिए 71 आबंटन किये थे। भू–आबंटन के सात प्रकरणों में जिसकी माप 446.112 हेक्टेयर थी, भू–प्रीमियम का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार लागू दर से निम्न दर पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 262.64 करोड़ की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 2.8.1 और 2.8.2)

• औद्योगिक क्षेत्र में सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू–आबंटन के छः प्रकरणों में जिसकी माप 16.715 हेक्टेयर थी, कम्पनी ने भू–आबंटन नियम, 1974 तथा संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक दर पर भू–प्रीमियम वसूल नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 52.49 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.8.6)

• 31 मार्च 2015 की स्थिति में, पाँच वर्ष की अवधि के लिए 1112 आबंटिती से उपयोग प्रभार की राशि ₹ 26.27 करोड़ बकाया थी। कम्पनी ने लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता आबंटितियों से उपयोग प्रभार की बकाया वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

(कंडिका 2.8.7)

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

• कम्पनी के पास प्रबंध सूचना प्रणाली व आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं थे। बाह्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा व्यापक न होकर केवल लेखों के प्रारंभिक जाँच तक ही सीमित थी। कंपनी ने 2010–15 के दौरान सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया।

(कंडिका 2.10)

3. लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें गम्भीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इसमें एक वृहद् कंडिका भी सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत् प्रकृति की है:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण 10 प्रकरणों में ₹ 66.94 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11)

त्रुटिपूर्ण–दोषपूर्ण नियोजन के कारण एक प्रकरण में ₹ 5.98 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.5)

वृहद् कंडिका पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुये कोरबा ताप विद्युत गृह में राखड़ बांध के निर्माण के लिए ₹ 1.96 करोड़ मूल्य का ठेका दिया।

(कंडिका 3.1.5)

कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम का उल्लंघन करते हुये ₹ 1.11 करोड़ का ब्याज रहित अतिरिक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.13 लाख के परिहार्य ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.6)

कम्पनी ठेकेदारों द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार दिये जाने वाले विशेष भत्ते के भुगतान को सुनिश्चित करने में विफल हुई।

(कंडिका 3.1.8)

अन्य लेन–देन के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड को जल का उपयोग प्रारम्भ करने की अवधि को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 57.76 लाख की दाण्डिक ब्याज के रूप में हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने बिना किसी अनुमोदित सेटअप के कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की एवं शासन के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुये उच्चतर समेकित वेतन का भुगतान किया, जिससे ₹ 56.98 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.4)

बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड को ₹ 5.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा कम अग्रिम कर जमा करने एवं समय पर आयकर विवरणियों को दाखिल नहीं करने के कारण ₹ 8.38 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

(कंडिका 3.6)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा 'मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम 1947' के प्रावधान के अनुसार अपने भण्डारगृहों में जमा कृषि उपज का बीमा करवाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 85.62 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 3.7)

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड ने भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय पर मूल्य संवर्द्धित कर का भुगतान फुटकर विक्रेताओं से वसूलने के बजाए स्वयं के मार्जिन से किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 53.65 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.8)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने आपूर्तिकर्ता से निम्न दर पर शास्ति की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.22 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.9)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत प्रभार की वसूली के लिए नया 'इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली' के बजाय पुरानी 'राजस्व आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली' को ही चालू रखने के कारण फ्रेंचाइजियों को ₹ 67.40 लाख का अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया।

(कंडिका 3.11)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड द्वारा साख पत्र लेने में विफल एवं पूलिंग सब–स्टेशन से उपभोक्ता को विच्छेद करने में विलंब के परिणामस्वरूप पूलिंग सब स्टेशन के संचालन एवं संधारण प्रभार के रूप में ₹ 71.23 लाख की वसूली न होना।

(कंडिका 3.13)